

## प्रधान कार्यालय निदेशक मत्स्य, उ०प्र०, लखनऊ

पत्रांक: 554 / ले०शा० / 4-8-315 / 07 / भवन निर्माण अग्रिम दिनांक: 25-03-2017  
कार्यालय आदेश

कृपया शासनादेश संख्या: बी-3-1647(2)/दस-2016-100(5)/16 भ०नि०, अग्रिम दिनांक: 21.12.2016 के द्वारा आवंटित धनराशि रू० 50.00 लाख के सापेक्ष निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित धनराशि के अनुसार भवन निर्माण अग्रिम के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस धनराशि का आहरण तत्काल कर भुगतान वित्तीय वर्ष 2016-17 में नियमानुसार सुनिश्चित किया जाय।

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम, पदनाम पदस्थता	द्वितीय/अन्तिम किशत		(धनराशि रू० में)		
		कुल स्वीकृत धनराशि	प्रथम किशत निर्गत धनराशि	अवशेष द्वितीय/तृतीय किशत अवमुक्त की धनराशि	अवमुक्त हेतु अवशेष धनराशि	
1	मुख्यालय स्तर	3	4	5	6	7
	श्री अरविन्द कुमार श्रीवास्तव, मत्स्य निरीक्षक, म०पा०वि०अ०, गोरखपुर	432000.00	262000.00	170000.00	0.00	

-2-

उक्त धनराशि कोषागार गोरखपुर से तत्काल आहरित की जायेगी।

उपर्युक्त कर्मचारियों को अवमुक्त की गयी धनराशि का उपभोग विवरण 3 माह के अन्तर्गत साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

1-उपरोक्त कार्यालय आदेश की अन्य नियम एवं शर्तें पूर्ववत् होंगी।

2-उक्त धनराशि का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में वित्त विभाग की अनुदान संख्या:-61 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "7610-सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि -आयोजनेत्तर-201-भवन निर्माण अग्रिम-04 भवन निर्माण या क्रय के लिए अग्रिम-30-निवेश/ऋण" के नामे डाला जायेगा।

3-शासनादेशानुसार समस्त कटौतियाँ मूलधन की कटौती के अगले माह से नियमित रूप से ब्याज की कटौती सुनिश्चित कराये, अन्यथा की स्थिति में ब्याज में छूट का लाभ देय नहीं होगा।

(डॉ सुधीर एम०बोबडे)

प्रमुख सचिव मत्स्य, उ०प्र०, शासन।

पत्रांक 554 / ले०शा० / 4-8-316 / 07 / भवन निर्माण / दिनांक: उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, द्वितीय, लेखा पशुपालन संकलन अनुभाग, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 2- संयुक्त सचिव, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3, उ०प्र० शासन, सचिवालय, लखनऊ।
- 3- मुख्य कोषाधिकारी गोरखपुर।
- 4- उप निदेशक मत्स्य, गोरखपुर,।
- 6- म०पा०वि०अ०, गोरखपुर,।
- 9- संबंधित कर्मचारी, (नाम से)।

(पूजा रमन)

वित्त एवं लेखाधिकारी,  
मत्स्य निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।



प्रेषक,

निदेशक मत्स्य,  
उ०प्र०, लखनऊ।

सेवा में,

1-उप निदेशक मत्स्य,  
गोरखपुर

पत्रांक

/ले०शा०/भ०नि०अग्रिम/

विषय:

भवन निर्माण हेतु बजट आवंटन वर्ष 2016-17।

महोदय,

दिनांक: 25-03-2017

शासनादेश संख्या: बी-3-1647(2)/दस-2016-100(5)/16 भ० निर्माण, अग्रिम दिनांक: 21.12.2016 के द्वारा आवंटित धनराशि रू० 50.00 लाख के सापेक्ष इस कार्यालय पत्र संख्या /ले०शा०-6 / (1)/2015-16/भवन निर्माण/दिनांक एवं पत्र संख्या- /लेखा/दिनांक द्वारा मण्डलीय/जनपदीय के अधिकारियों/कर्मचारियों को स्वीकृत भवन निर्माण अग्रिम आहरण के लिए निम्न प्रकार धनराशि आवंटित की जाती है:-

(धनराशि रू० लाख में)

क्रमांक	आवंटित धनराशि	अधिकारी/जनपद
1	1.70	उप निदेशक मत्स्य, गोरखपुर
योग-	1.70	

(रू० एक लाख सत्तर हजार मात्र)

उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में आय व्यय के वित्त विभाग की अनुदान सं० 61 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक " 7610 सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि-आयोजनेत्तर-201- भवन निर्माण अग्रिम-04 भवन निर्माण या कर्ज के लिए अग्रिम-30-निवेश/ऋण" के नामे डाला जायेगा।

भवदीया,


( पूजा रमन )

वित्त एवं लेखाधिकारी  
मत्स्य निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक: 555/ले०शा०/भ०नि०/बजट आवंटन दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर, ।



( पूजा रमन )  
वित्त एवं लेखाधिकारी

मत्स्य निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।